राष्ट्र महिला

खंड 1, संख्या 148 | नवंबर 2011

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

हाल ही में एक सामाजिक फिल्म निर्माता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जन हित याचिका (पी आइ एल) दायर करके दिल्ली मोटर वाहन नियमों को चुनौती दी जिनमें स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के पीछे की सीटों पर बैठी महिलाओं को हेलमेट पहनने से बरी रखा गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से पूछा है कि उपरोक्त नियमों में संशोधन करने के बारे में क्या कोई योजना है। वर्तमान नियमों के अनुसार, महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। महिलाओं को दी गयी छूट उनके लिए घातक बन गयी है। आंकड़े दर्शाते हैं कि दुपहिया मोटर वाहनों की दुर्घटनाओं में इस वर्ष हुई 522 मौतों में 43 महिलाएं हैं। गत वर्ष इन दुर्घटनाओं में 64 महिलाओं की मृत्यु हुई थी।

पुलिस का दावा है कि दुपहिया मोटर वाहनों की सवारी में यदि महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया जाये तो अनेक जानें बचाई जा सकती हैं । इसलिए पुलिस प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से महिलाओं से आग्रह कर रही है कि चाहे वे वाहन स्वंय चलायें या पीछे की सीट पर बैठें हेलमेट पहनें। अस्पतालों के अधिकारियों का भी यही कहना है कि दुर्घटना होने पर पीछे की सीट पर बैठने वाले के सर में अधिक चोट आती है क्योंकि उसके पास पकड़ने को कुछ नहीं होता और कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे बैठने वाला गिरता है और दूसरा कोई वाहन उसके ऊपर से गुजर जाता है। दुपहियों पर महिलाएं अधिकतर पीछे ही बैठती हैं।

चर्चा में
महिलाओं के लिए हेलमेट

जनहित याचिका में मांग की गयी है कि महिलाओं के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए । इसके जवाब में दायर किए गये हलफनामें में दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह इस बात का समर्थन करती है, किन्तु अन्तिम निर्णय यह न्यायालय पर छोड़ना चाहेगी ताकि न्यायालय के निर्देश के अनुसार कानून में परिवर्तन किया जा सके ।

इसमें कोई दो राय नहीं है हेलमेट के बिना महिला को भी उतना ही खतरा है जितना कि पुरुष को। फिर यह नियम क्यों है कि इसे पहनना पुरुषों के लिए अनिवार्य है, महिलाओं के लिए ऐच्छिक। उन्हें इस अपवाद का कोई अंतर नहीं पड़ता।

इसलिए, हमारा सुझाव है कि धर्म, जाति, वर्ण और नस्ल में भेद किए बिना सब महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्हें शिक्षित तथा जागरूक करना आवश्यक है।

करवा चौथ का दिन, जब कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं, चंडीगढ़ में युवाओं के एक ग्रुप ने यह काम किया। उन्होंने स्कूटर सवार हेलमेट पहनने वाली महिलाओं को पुरस्कार दिए ताकि उनके मन में यह बिठा सकें कि उनकी सुरक्षा और जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके पतियों का। कोई दुर्घटना महिला और पुरुष का भेद नहीं करती और दोनों को वैसी ही चोट लगती है।

अध्यक्षा का प्रेस सम्मेलन

आयोग में अपने 90 दिन पूरे कर लेने पर, अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने एक प्रेस सम्मेलन बुलाया और बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का पद संभालने पर उनकी प्राथमिकताएं तथा लक्ष्य क्या हैं।

उन्होंने कहा कि वह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपितु उनके विकास तथा उन्नति पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगी जिसमें स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा शामिल है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को कम करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग, पुलिस तथा मीडिया के बीच तालमेल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विपत्तिग्रस्त महिला की सहायतार्थ आयोग तीन मास के अंदर एक निःशुल्क हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बना रहा है जहां महिलाएं अपनी शिकायत फोन पर दर्ज करा सकती हैं।

जिन महिलाओं की सुनवाई उनके राज्यों में नहीं होती, वे राष्ट्रीय महिला आयोग में आने की परेशानी उठाए बिना अपनी शिकायत इस केन्द्र पर फोन द्वारा दर्ज करा सकती हैं।

यह हेल्पलाईन उन्हें मंत्रणा भी देगी और आवश्यक होने पर तत्काल सहायता भी प्रदान करेगी ।

इस आलोचना पर कि आयोग ने भंवरी देवी मामले में कोई कार्यवाई नहीं कीए तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए सुश्री शर्मा ने कहा कि उसके अपहरण के कुछएक दिन बाद ही आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा था किन्तु अब मामला सी बी आइ के पास है और न्यायालय में इसकी सुनवाई हो रही है, इसलिए आयोग न्यायाधीन मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने यह वादा भी किया कि अनेक वर्षों से आयोग में निलम्बित मामलों को जल्द निबटाया जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि कम्पनियों में कार्यरत महिलाएं कार्यस्थल पर यौन अथवा सामाजिक उत्पीड़न की शिकार होती हैं तो उन्हें त्वरित न्याय दिया जायेगा। आयोग ने प्रारंभ में चार राज्यों – नामतः उत्तराखंड, हरियाणा, केरल और पंजाब में महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता आन्दोलन चलाने का निर्णय किया है। इसका सूत्रपात 14 नवम्बर को पूर्व प्रधान मंत्री श्री इन्दिरा गांधी की पुण्यतिथि पर किया जायेगा ।

यौन उत्पीड़न रोकने पर कार्यशाला

बैंक आफ बड़ौदा स्टाफ कॉलेज ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में अहमदाबाद में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की । गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डा० चारू वलीखन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को न केवल समान वेतन का अपितु सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण में कार्य करने का और कार्य में आगे बढ़ने के अवसर पाने का भी अधिकार है । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से हमारे संविधान के अनुबंध 14 में दी गयी समानता की गारंटी का तथा अनुबंध 21 में प्रदत्त प्रतिष्ठित जीवन यापन के अधिकार का हनन होता है।

सदस्या चारू वलीखन्ना (पहली पंक्ति में बांये से द्वितीय) कार्यशाला के भागीदारों के साथ

श्री एस० एम० शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए बैंक आफ बड़ौदा की महिला–प्रधान कर्मचारी संबंधित प्रगतिशील नीतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि महिला कर्मचारियों के संवर्धन के लिए बैंक विशेष प्रयास करता है तथा क्रेडिट एवं रिटेल बैंकिग के क्षेत्र में महिला अधिकारियों के लिए विशेष कार्यकम आयोजित किए जाते हैं और अनेक महिलाएं बैंक की शाखाओं की प्रमुख हैं।

डा० चारू वलीखन्ना, गुजरात राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती लीलाबेन अंकोलिया के साथ "मीरा दीदी से पूछों" प्रकाशन के गुजराती अनुवाद को प्रदर्शित करते हुए

इस अवसर पर एक पुस्तक "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरूद्ध आवाज उठाओं और शिकायत करों" का विमोचन किया गया।

डा० चारू वलीखन्ना ने गुजरात राज्य महिला आयोग की सदस्याओं के साथ एक बैठक भी की और अध्यक्षा एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ लाभजनक विचार विमर्श किया।

साहस का प्रतीक

बाईस वर्षीय प्रीति राजपूत एक रिक्शा पर राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन जा रही थी कि रास्ते में दो मोटर साइकिल सवार युवक इसके पास तक पहुंचे और उसका पर्स छीन कर राजौरी गार्डन की एक माल के सामने की भीड़–भाड़ के बीच भाग निकले।

प्रीति न तो डरी, न परेशान हुई । उसने मदद के लिए पुलिस या राहगीरों की प्रतीक्षा नहीं की । वह रिक्शे से कूद कर एक ओटो में बैठी और झपटामारों का पीछा किया । अतीव बहादुरी दिखाते हुए वह उन युवकों तक जा पहुंची और उन्हें पकड़वा दिया । अपराधियों ने जब लालबत्ती पर न रूक कर सड़क पार करने का प्रयत्न किया तो उसने शोर मचाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया । पुलिस ने प्रीति को एक प्रशंसा पत्र तथा 1000/– रु० का नकद पुरस्कार दिया । पुलिस के प्रशंसा पत्र से प्रीति बहुत खुश है और उसका कहना है कि दिल्ली की सड़कों पर अगली बार किसी महिला को लक्षित करने वाले बदमाशों को दो बार सोचना होगा।

तीसरा बच्चा यदि लड़की हुई तो प्रोत्साहन सहायता मिलेगी

विषम लिंग अनुपात का सामना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक योजना तैयार कर रही है जिसके अनुसार यदि तीसरा बच्चा लड़की हुयी तो माता–पिता को प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जहां महिला–पुरुष अनुपात बहुत अधिक गिरा हुआ है अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 883 महिलाएं । राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात 1000 : 914 है।

यह सहायता राज्य सरकार द्वारा तीसरी लड़की की शिक्षा का भार उठाने तथा अन्य वित्तीय लाभों के रूप में दी जायेगी। वर्तमान कानूनों में संशोधन किया जायेगा ताकि सरकारी कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायतों सहित सभी स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर अयोग्य न ठहरा दिया जाये।

महिलाओं के अधिकार संबंधी कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने हरोइती उत्सव आयोजन समिति के सहयोग में 19 नवम्बर, 2011 को कोटा में महिला अधिकार अभियान का शुभारंभ किया । बाद में, इसी कार्यक्रम के भाग के

श्रोताओं को संबोधित करते हुए सुश्री ममता शर्मा

रूप में स्त्री शक्ति सेवा संस्थान द्वारा सुलतानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

अभियान का उद्घाटन करते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री ममता शर्मा ने कहा कि वर्तमान काल में भी महिलाएं बेईमानी और अन्याय का शिकार होती हैं । जब वे पुलिस स्टेशन पर शिकायते दर्ज कराने आती हैं तो उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जातीं। महिलाओं के पक्षधारी अनेक कानून होते हुए भी उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाता और महिलाएं उनसे कोई राहत पाने में असमर्थ हैं।

श्रोतागणों का एक दृश्य

इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा तथा विकास और महिला अधिकार कार्यक्रमों के द्वारा उनमें जागरूकता पैदा करके उन्हें सशक्तिकृत किया जाये । यही बात दृष्टि में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ में चार राज्यों अर्थात राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा केरल में आयोजित करने का निर्णय लिया है।

सदस्य सचिव का कोलकत्ता का दौरा

अपने कोलकत्ता दौरे के समय राष्ट्रीय महिला की सदस्य सचिव सुश्री अनिता अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग के सदस्यों एवं गैर सरकारी संगठनों की एक बैठक में भाग लिया।

राज्य आयोग तथा गैर सरकारी संगठनों ने सदस्य सचिव के इस सुझाव का स्वागत किया कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और गैर सरकारी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल व नेटवर्किंग जिसमें टेलीकांफ्रेंसिंग भी शामिल है प्रारंभ किया जाये। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध और जन्म पूर्व सेक्स निर्धारण निषेध अधिनियम तथा अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की क्रियान्विति की पहचान महिलाओं के सम्मुख सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के रूप में की गयी । गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें महिलाओं तथा बच्चों को बच निकालने में संबंधित कानूनी अड़चनों, बचाई गयी महिलाओं के लिए आश्रय गृहों, विदेशी नागरिकों को वापस ढकेल देने और अनैतिक व्यापार से बाहर निकाली गयी महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार करने पर सामाजिक व्यवस्था का आभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । यह भी महसूस किया गया कि इस विषय पर एक शोध अध्ययन कराया जा सकता है जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संगठनों द्वारा इस दिशा में किए गये कार्य का आकलन भी होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रश्न है, इसके पीछे के कारणों का गहन विश्लेषण किया जायेगा।

सदस्य सचिव (ऊपर बीच में) पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग के साथ चर्चा करते हुए

सुश्री अग्निहोत्री अलीपुर के महिला सुधार गृह का निरीक्षण करने भी गयीं। वहां कुल 270 महिलाएं थीं। उन्होंने दहेज, हत्या, अपहरण आदि के अपराध किए थे।

सुधार गृह की सफाई ठीक-ठाक थी और जो बच्चे अपनी माताओं के साथ वहां रह रहे थे उनका स्वास्थ्य अच्छा था। परन्तु अनेक महिलाओं, विशेषकर विदेशियों, को अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी सलाह की एवं सहायता की आवश्यकता थी । बंगलादेशियों तथा एक चीनी महिला की दशा शोचनीय थी । उनमें से 13 को जेल से रिहा कर दिया गया था किन्तु फिर भी सुधारगृह में उनका रहना जारी है क्योंकि गृह विभाग, गुप्तचर ब्यूरो या सीमा सुरक्षा बल द्वारा कार्यवाई की जाना अभी शेष है।

महत्वपूर्ण निर्णय

पुलिस उन लोगों की पृष्ठभूमि की तसदीक करे जिन्हें बलात्कार पीड़ितों की हिरासत दी गयी है

दिल्ली के एक न्यायालय ने दिल्ली पुलिस के प्रमुख को आदेश दिए हैं कि वह आश्वस्त करें कि किसी बलात्कार पीड़ित महिला की हिरासत किसी ऐसे व्यक्ति को न दी जाये जिसका विगत संदिग्ध है । अतिरिक्त सेशन जज ने उनसे यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के विगत की तसदीक कर ली जाये।

न्यायालय ने ये आदेश उस समय दिए जब एक बलात्कार पीड़िता को समन की तामील नहीं की जा सकी क्योंकि जिस व्यक्ति को उसकी हिरासत दी गयी थी उसने कहा कि वह अपने पैतृक घर चली गयी है । बाद में न्यायालय ने पाया कि स्वयं वह व्यक्ति भी बलात्कार के कुछ मामलों में आरोपी था।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि "यह एक ऐसा पहलू है जिस पर ठीक से ध्यान देना आवश्यक है.....ताकि भविष्य में यह आश्वस्त करने की सावधानी बरती जाये कि जिन शिकायतकर्त्ताओं और सुपरदारों को बलाकार पीड़िता की हिरासत दी गयी है अनके विगत जीवन तथा अपराधी पृष्ठभूमि की तसदीक पीड़िता को उनकी हिरासत देने से पूर्व कर ली जाये।"

सौतेले परिवार द्वारा उत्पीड़ित किया जाना भी घरेलू हिंसा है

घरेलू हिंसा अधिनियम की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए, दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा है कि यदि किसी महिला को उसकी सौतेली मां अथवा सौतेले भाई–बहनों द्वारा सताया जाता है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा मांगने की हकदार है।

अतिरिक्त सैशन जज ने यह टिप्पणी एक मुकदमा न्यायालय द्वारा पीड़िता के सौतेले भाई, बहन और मां को उसे सताने के आरोप के सिलसिले में भेजे गये समन को सही ठहराते हुए की।

उत्तम नगर के भाई–बहन द्वारा मुकदमा न्यायालय के आदेश के विरूद्ध दायर अपील को ठुकराते हुए सैशन न्यायालय ने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच के घरेलू संबंध का यह अर्थ नहीं है कि वे विवाह से जुड़े हों । "दो पक्षों के बीच यदि खून का नाता है या वे गोद लिए जाने के नाते से संबंधित हैं या संयुक्त परिवार के रूप में परिवार के सदस्यों की तरह रह रहे हैं तो उनमें घरेलू संबंध हैं।"

महिला ने अपनी सौतेली मां और पांच सौतेले भाई–बहनों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के विरूद्ध कानूनी संरक्षण दिए जाने के लिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अर्जी दी थी।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारी वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राजस्थान उच्च-न्यायालय ने आर्य समाज के त्वरित विवाहों पर रोक लगाई

अपने माता–पिता की अनुमति न मिलने पर जो प्रेमी जोड़े आर्य समाज में आसानी से त्वरित विवाह कर लेते हैं अब उनके लिए वह बात समाप्त हो जायेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर्य समाज परम्परा के ऐसे विवाहों के संपादन पर, जिनके बारे में लड़के–लड़की के माता–पिता को पहले से सूचित नहीं किया गया हो, रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दलीपसिंह और सज्जन सिंह कोठारी की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया है कि आर्य समाज के माध्यम से ऐसे किसी भी प्रेम विवाह की अनुमति नहीं दी जायेगी जिस पर दोनों पक्षों के दो सम्माननीय व्यक्तियों की स्वीकृति तथा सिफारिश न हो।

बलात्कार पीड़ित के साक्ष्य पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि बलात्कार के मामलों में किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है और केवल पीड़िता के कथन के आधार पर सजा दी जा सकती है क्योंकि उसकी गवाही को शंका की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा : " यह परम्परा से चला आया नियम है कि कोई महिला, जो यौन प्रहार की पीड़िता है, इस अपराध की सहकारी नही हो सकती, अपितु किसी अन्य व्यक्ति की हवस का शिकार है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि किसी चोटिल साक्षी की अपेक्षा बलात्कार पीड़िता का साक्ष्य अधिक प्रबल है। इसलिए उसकी गवाही को वैसी शंका से नही परखा जा सकता जैसी किसी सहकारी गवाही को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह बात नहीं कही गयी है कि उसका साक्ष्य जब तक ठोस ब्यौरे पर आधारित न हो जब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

नौकरानी को मां का विकल्प नहीं माना जा सकता

दिल्ली के एक न्यायालय ने एक बच्ची की हिरासत के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि किसी बच्चे की बढ़ती हुई आवश्कताओं की पूर्ति की देखभाल किसी नौकरानी को रख कर नहीं की जा सकती और वह बच्चे को मां का प्यार नहीं दे सकती।

गत चार वर्ष से वह बच्ची अपने पिता के साथ रह रही थी। न्यायालय ने कहा कि पिता के घर में महिला का अभाव बच्ची के "व्यक्तित्व" को अवरूद्ध करेगा तथा पिता की बेहतर वित्तीय स्थिति का तर्क बेमानी है और अभिभावक जज ने नौ वर्षीय लड़की की हिरासत मां को दे दी।

यद्यपि लड़की ने न्यायालय ने कहा था कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती है, फिर भी न्यायालय का कहना था कि वह अपनी मां के साथ बेहतर वातायरण में रह सकेगी जिससे वह सही "नैतिक तथा आचारिक" गुणों को आत्मसात कर सकेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित सम्पादक : गौरी सेन। प्रोलिफिक इनकॉरपोरेटेड, ए–507ए, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 द्वारा मुद्रित।